(255)

संख्या– 225/F/XVIII-(2)/12–12(5)/2008

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार एवं उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादूनः दिनांक 27 अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में गत वित्तीय वर्षो में दैवी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर संचालन एवं भोजन आदि की व्यवस्था में व्यय धनराशि के लम्बित देयकों के भुगतान तथा अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद हेतु धनावंटन के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया संलग्न विवरणानुसार अपने विभिन्न पत्रांकों एवं उसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्यक विचारोपरान्त उपलब्ध प्रस्तावों के अनुक्रम में विषयगत कार्य हेतु संलग्न विवरणानुसार जिलाधिकारी हरिद्वार एवं उत्तरकाशी को कुल ₹ 17,69,231/– (₹ सत्रह लाख उन्हत्तर हजार दो सौ इक्कतीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– अहेतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान मदों हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा आपदा राहत निधि से व्यय हेतु जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3– राहत शिविर संचालन में व्यय धनराशि के लम्बित देयकों के भुगतान से पूर्व इस बात की पुनः पुष्टि कर ली जायेगी कि सभी कार्य आपदा राहत निधि की नवीनतम गाइड लाईन्स से आच्छादित है।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तर दायित्व होगा।

5– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र उपभोग सुनिश्चित कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय –42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 7 NP/वित्त अनु0–5/12 दिनांक 24 अप्रैल, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न–यथोपरिः

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

संख्या– 225/(1)/XVIII-(2)/12–12(5)/08 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– कोषाधिकारी, हरिद्वार एवं उत्तरकाशी।
5– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
6– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
10– वित्त अनुभाग–5,
11– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 225/ XVIII-(2)/12-12(05)/2008 दिनांक 27 अप्रैल, 2012 का संलग्नक

| क्र. सं. | जनपद | पत्रांक एवं दिनांक | मद का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हरिद्वार | 5933/तेरह–आर.रा.कोष (2010–11), दिनांक 02 मार्च, 2012 | वर्ष 2010–11 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत शिविरों में व्यय धनराशि के भुगतान हेतु। | 16,57,176/– |
| 2 | हरिद्वार | 5992/तेरह–(2011–12), दिनांक 22.03.2012 | वर्ष 2011–12 में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु। | 1,00,000/– |
| 3 | उत्तरकाशी | 2580/तेरह–29(2010–11), दिनांक 16.03.2012 | वर्ष 2010–11 में अतिवृष्टि के कारण उत्तरकाशी–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों की भोजन आदि की व्यवस्था पर हुये व्यय | 12,055/– |
| | | | कुल योग | 17,69,231/– |

(₹ सत्रह लाख उन्हत्तर हजार दो सौ इक्कतीस मात्र)

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव